

न्यायालय-दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आ.प्र.क्रमांक-288 / 2012

संस्थित दिनांक-09.04.12

फाइलिंग क्र.234503000962012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-रूपझर,

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन// विरुद्ध //

जोगीलाल पिता तिलकराम परते, उम्र-27 वर्ष,

जाति लोहार निवासी-ग्राम सिंघबाघ, निवासी रूपझर

थाना रूपझर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

अभियुक्त// निर्णय //(आज दिनांक-11/07/2017 को घोषित)

1- अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 506 भाग-2 का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक-04.04.2012 को शाम करीब 1:00 बजे ग्राम रूपझर अंतर्गत थाना रूपझर तहसील बैहर जिला बालाघाट जो लोकस्थान या उसके समीप है पर प्रार्थी पार्वतीबाई को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर पार्वतीबाई को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया था।

2- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी पार्वतीबाई ने पुलिस थाना रूपझर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक-04.04.2012 को वह कस्तूराबाई, खुसबतीबाई एवं उसके पति अमरलाल के साथ उसके घर की दीवाल उठाने का काम कर रही थी। तभी करीब 1:00 बजे मोहल्ले का जोगीलाल लोहार आया था और कहा था कि यहां मकान क्यों बनाते हो कहकर मां बहन की गंदी-गंदी गालियां देते हुए बोला था कि बाहर निकल मादरचोद छिनाल तेरी दाई को चोदू बदमाश काली मैं वह उसका फरियादिया का मकान तोड़ देगा और उसके पति अमरलाल से बोला था कि साला गांडू घरवाली का भांड खाता है मादरचोद तुझे भी खत्म कर देता हूँ। मौके पर काम करने वाली कस्तूराबाई और सुखवंतीबाई ने समझाया बुझाया था तब अभियुक्त की मां हिरनबती उसे पकड़कर ले गयी थी। यदि वह पकड़कर नहीं ले जाती तो जोगीलाल अवश्य ही उसके साथ मारपीट कर संगीन घटना कारित कर देता

की फरियादिया की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना रूपझर ने अपराध क्रमांक-38/12 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोगपत्र प्रस्तुत किया था।

3- अभियुक्त पर तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निर्णय के पैरा 1 में उल्लेखित धाराओं का आरोप विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया था तो अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

4- अभियुक्त का धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त का कहना है कि वह निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया था।

5- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित है:-

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक-04.04.2012 को शाम करीब 1:00 बजे ग्राम रूपझर अंतर्गत थाना रूपझर तहसील बैहर जिला बालाघाट जो लोकस्थान या उसके समीप है पर प्रार्थी पार्वतीबाई को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया था ?
2. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी पार्वतीबाई को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?

विवेचना एवं निष्कर्ष :-

6- प्रकरण में साक्ष्य की पुनरावृत्ति नहीं हो इस कारण उक्त सभी विचारणीय बिंदुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

7- पार्वतीबाई अ.सा.1 का कहना है कि घटना रूपझर में उसके घर के पीछे की है। अभियुक्त ने उसे गंदी-गंदी गालियां दी थी और कहा था कि मकान बनायेगी तो जान से मार डालेगा एवं साक्षी के पति को भी गालियां दी थी।

अभियुक्त फरियादी को कुल्हाड़ी लेकर मारपीट करने आया था। घटना में कस्तूरीबाई ने बीच बचाव किया था। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर साक्षी की निशां देही से घटनास्थल का मौकानक्शा बनाया था जो प्र.पी.02 है। फरियादी की साक्ष्य का समर्थन करते हुए फरियादी के पति अ.सा.03 अमरलाल ने बताया है कि घटना लगभग दो वर्ष पूर्व की है। अभियुक्त ने उसे गंदी गंदी गालियां देकर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने घटनास्थल का मौकानक्शा प्र. पी.02 इस साक्षी के समक्ष बनाया था।

8— खुसवंतीबाई अ.सा.2 का कहना है कि अभियुक्त ने इस साक्षी से कहा था कि पार्वतीबाई के यहां काम करने मत जाना ऐसा कहने के बाद अभियुक्त पार्वतीबाई को मारने के लिए लकड़ी लेकर दौड़ा था। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने बताया है कि अभियुक्त ने उसे पार्वतीबाई के यहां मकान बनाने से मना किया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त ने कोई गाली गुप्तार नहीं किया था और न ही अभियुक्त ने फरियादी को मारने का प्रयास किया था। इस साक्षी के सामने अभियुक्त ने फरियादी को किसी प्रकार की गाली नहीं दी थी एवं फरियादी को मारने की धमकी भी नहीं दी थी। इस साक्षी की साक्ष्य से घटना का समर्थन नहीं होता है।

9— प्रश्नाधीन प्रकरण पांच वर्ष से अधिक पुराना है। अभियोजन पक्ष को कस्तूरीबाई एवं प्रकरण के विवेचक के.पी.मिश्रा की साक्ष्य कराये जाने के लिए पर्याप्त अवसर दिये गये थे उसके उपरान्त भी अभियोजन पक्ष प्रकरण में कस्तूरीबाई एवं प्रकरण के विवेचक के.पी.मिश्रा की साक्ष्य कराने में असफल रहा है। अभियोजन पक्ष की लापरवाही के कारण अभियुक्त ने प्रकरण के विचारण का अनावश्यक सामना किया है जिससे अभियुक्त के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है।

10— पार्वतीबाई अ.सा.01, अमरलाल अ.सा.03 ने उनकी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से अश्लील शब्दों के बारे में नहीं बताया है। पार्वतीबाई अ.सा.01, अमरलाल अ.सा. 03 का ऐसा कहना नहीं है कि अभियुक्त द्वारा दी गयी गालियां सुनकर उन्हें क्षोभ कारित हुआ हो या बुरा लगा हो। भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294 के

अपराध को साबित करने के लिए यह बताया जाना आवश्यक है कि उच्चारित किये जाने वाले शब्द किस सीमा तक अश्लील थे जो किसी अभियुक्त को अनैतिक या भ्रष्ट आचरण करने के लिए उकसाते हों। किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन पक्ष के साक्षीगण का ऐसा कहना नहीं है कि गालियां सुनकर उन्हें क्षोभ कारित हुआ हो। ऐसी स्थिति में अभिलेख पर आयी उक्त साक्ष्य को देखते हुए अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294 का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है।

11- पार्वतीबाई अ.सा.01, अमरलाल अ.सा.03 की साक्ष्य के अनुसार अभियुक्त ने पार्वतीबाई एवं उसके पति को जान से मारने की धमकी दी थी। फरियादी द्वारा लिखायी गयी प्र.पी.01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि फरियादी ने घटना दिनांक को ही प्र.पी.01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करायी थी। दोनो साक्षीगण ने ऐसा कथन नहीं किया है कि अभियुक्त द्वारा उक्त प्रकार की धमकी देने से वह अत्यंत भयभीत हो गये थे। यहां संत्रास कारित करने के आशय को स्थापित करना होता है मात्र भयोपरत करने के आशय से जान से मारने की धमकी देने से आपराधिक अभित्रास का गठन नहीं होता है। पार्वतीबाई एवं अमरलाल का ऐसा कहना नहीं है कि अभियुक्त द्वारा दी गयी धमकी अभियुक्त ने कार्य रूप में परिणीत करने का प्रयास किया हो। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि अभियुक्त द्वारा दी गयी धमकी मात्र शाब्दिक धमकी होकर अपने आक्रोश को प्रदर्शित करने का तरीका था। जिससे भारतीय दण्ड संहिता की धारा-506 भाग-2 का अपराध गठित नहीं होता है। अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-506 भाग-2 के अपराध का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 506 भाग-2 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

12- अभियुक्त का धारा-428 दं.प्र.सं. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

13- प्रकरण में अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

14- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(दिलीप सिंह)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(दिलीप सिंह)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट